

N/C

सेवा में,

अजीता प्रकाश,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

संख्या-677/15-7-06-16(13)/2006

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदायकेंद्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।
शिक्षा (7) अनुभाग

तखनक: दिनांक: ०८ मार्च २००६

विषय :- नवर सैन्ड पब्लिक रामपुर मनिहारन, सहरनपुर को सी० बी० एस० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।
प्रत्येक,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संबंधित विद्यालय को सी० बी० एस० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहें और उनसे उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद/बैसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषद से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनावी जावेली और उन्हें सहायक प्राप्त अवसरवीन उत्तमतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुगुण्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध करावे जावेली ।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्वत किये जावेली संस्था उनका पालन करेली ।
- (8) विद्यालय का रिजर्व निश्चित प्रपत्र पत्रिकाओं में रखा जावेली ।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जावेली ।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पता चला है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अवकाश करने में किसी प्रकार की धूल या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव अवकाशित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जावेली ।

भवदीय,

(अजीत प्रकाश)
उप सचिव।

पुनर्- 677(1)/15-7-2006 तद्विनाश

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मन्त्रालय संयुक्त शिक्षा निदेशक, सहरनपुर ।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, सहरनपुर ।
- 4- निरीक्षक, आस्था भारतीय विद्यालय उग्रप्र, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, महर लैन्ड पब्लिक रामपुर मणिसारन, सहरनपुर ।
- 6- वार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(अजीत प्रकाश)
उप सचिव।